16/5/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील मौ/हाजिर। वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः TI प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा नम्बर से कम की जाकर शामिल मूल वाद हो।